रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-19072024-255574 CG-DL-E-19072024-255574

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2741]

No. 2741]

नई दिल्ली, शुक्रवार , जुलाई 19, 2024/आषाढ 28, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, JULY 19, 2024/ASHADHA 28, 1946

रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2024

पॉलीएस्टर कोंटिन्यूअस फिलामेंट फुल्ली ड्रॉन यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024

का.आ. 2878(अ).—केंद्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, पॉलीएस्टर कोंटिन्यूअस फिलामेंट फुल्ली ड्रॉन यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पॉलीएस्टर कोंटिन्यूअस फिलामेंट फुल्ली ड्रॉन यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

4417 GI/2024 (1)

2. पॉलीएस्टर कोंटिन्यूअस फिलामेंट फुल्ली ड्रॉन यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 के, पैरा 1 में, उप पैरा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"परन्तु इस आदेश की कोई बात लो मेल्ट पॉलीएस्टर यार्न को लागू नहीं होगी।"

[फा. सं. पीसी-II-46016/6/2020-टेक.सीपीसी (भाग-1)]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: - मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्याक का.आ. 3193 (अ) तारीख 17 जुलाई, 2023 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2024

POLYESTER CONTINUOUS FILAMENT FULLY DRAWN YARN (QUALITY CONTROL) Amendment Order, 2024.

- **S.O.** 2878(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Polyester Continuous Filament Fully Drawn Yarn (Quality Control) Order, 2023, namely:—
- 1. Short title and commencement. -(1) This order may be called the Polyester Continuous Filament Fully Drawn Yarn (Quality Control) Amendment Order, 2024.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Polyester Continuous Filament Fully Drawn Yarn (Quality Control) Order, 2023, in paragraph 1, after sub-paragraph (3), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that nothing in this Order shall apply to Low Melt Polyester Yarn."

[F. No. PC-II-46016/6/2020-TECH.-CPC (Part-1)] DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3193(E), dated the 17th July, 2023.